

सेवा में
उपायुक्त,
गुमला
कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमंडल, सिमडेगा

गुमला, दिनांक 11/8/16

विषय :- कोथेडेगा रामरेखा धाम छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ के कि० मी० 0.00 से 27.325 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपके पत्रांक-387(अनु) सिमडेगा दिनांक 26.06.2016।

महाराय,

सुमर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कोथेडेगा रामरेखा धाम छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ के कि० मी० 0.00 से 27.325 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

जिसकी भूमि विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	मीजा का नाम	थाना सं०	खाला	प्लॉट	रकबा जंगल भूमि (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
1	कोण्डरा	60	299	1901	0.43	जंगल भूमि
2	कोण्डरा	60	299	1848	0.07	जंगल भूमि
3	कोण्डरा	60	299	2188	0.86	जंगल भूमि
4	कोण्डरा	60	299	4548	1.14	जंगल भूमि
5	कोण्डरा	60	299	4521	0.33	जंगल भूमि
6	कोण्डरा	60	299	5675	1.81	जंगल भूमि
7	कोण्डरा	60	299	5555	1.06	जंगल भूमि
8	कोण्डरा	60	299	5541	0.12	जंगल भूमि
9	कोण्डरा	60	299	5548	0.24	जंगल भूमि
10	कोण्डरा	60	299	1829	0.36	जंगल भूमि
11	कोण्डरा	60	299	4314	0.78	जंगल भूमि
12	कोण्डरा	60		5562	0.27	जंगल भूमि

कुल रकबा:- 7.45 एकड़

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 1998 दिनांक 11.08.2016 के आलोक में उपर वर्णित जंगल-झाड़ी भूमि पर कोथेडेगा रामरेखा धाम छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ के कि० मी० 0.00 से 27.325 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विरवास्तमाजन

11-8-16
उपायुक्त,
गुमला